16.12.2025

वादी बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री अवतार सिंह उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गणेशीलाल अग्रवाल उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। गवाह अनुपम शर्मा उपस्थित।

विद्वान अधिवक्ता वादी बैंक की ओर से एक प्रार्थना–पत्र बाबत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2025 की अनुपालना में दस्तावेजात की सत्यापित प्रतियां पेश करने हेतु समय प्रदान किये जाने का पेश किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 को दिलाई गई, जिन्होंने प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश नहीं कर मौखिक बहस का निवेदन किया।

बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस न्यायालय द्वारा वादी बैंक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिनांक 29.11.2025 को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया था कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने हेतु यदि वादी बैंक असल अथवा सत्यापित प्रतियां पेश करें तो रेकार्ड पर लिया जावेगा। उक्त आदेश की पालना में वादी बैंक की ओर से आज फर्द दस्तावेजात के साथ ऑडिट रिपोर्ट की प्रति पेश करते हुए, शेष रहे दस्तावेजात के सम्बन्ध में हस्तगत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात की सत्यापित प्रतियां पेश करने हेतु समय प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से तर्क दिया गया है कि वादी को पूर्व में पर्याप्त अवसर दस्तावेजात पेश करने हेतु प्रदान किया जा चुका है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न ऑडिट रिपोर्ट को रेकार्ड पर लिया जाता है। वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों तथा बहस के दौरान किये गये निवेदन को तथा वाद के न्यायोचित न्याय निर्णयन हेतु वादी की ओर से पेश किया गया प्रार्थना–पत्र कॉस्ट पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप वादी की ओर से पेश किया गया प्रार्थना–पत्र बाबत दस्तावेजात पेश करने हेतु समय प्रदान किये जाने **एक हजार रूपये कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता है।** वादी कॉस्ट को नियमानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाकर रसीद न्यायालय में पेश करें। कॉस्ट अदायगी दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने के लिए आगामी पेशी तक के लिए पूर्ववर्ती शर्त होगी।

पत्रावली वास्ते पेश होने दस्तावेजात दिनांक 03.01.2026 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।